छत्तीसगढ़ शासन

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

सूचना के अधिकार अधिरनियम, 2005
के अंतर्गत

धारा–4 की उपधारा (1) बी के अनुसार मैनुअल

(मैनुअल–1)
संगठन की विशिष्ठियां, कृत्य एवं कर्तव्य

भारत के संविधान के अनुच्छेद–46, में सौंपे गए कर्तव्य "अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गो के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि के लिए" संविधान के अनुंच्छेद–244 एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) में विहित दायित्वों के निर्वहन के लिए संविधान के अनुच्छेद–164 के अंतर्गत विहित प्रावधान के अनुरूप छत्तीसगढ़ राज्य में आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग गठन किया गया है।

राज्य शासन के राज्य हित के सामान्य क्रियाकलापों के संबंध में तथा शासन की नीतियों आदि के क्रियान्वयन हेतु राज्य शासन के समस्त विभागों के मध्य आवश्यकतानुसार समन्वय कराना आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास वर्ग के कल्याण का दायित्व आदिम जाति कल्याण विभाग का है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची व उनका संक्षिप्त विवरण सेवा भर्ती नियमों में है। विभाग में 01 विभागध्यक्ष कार्यालय है, जिला/संभाग स्तर पर भी कई संगठनात्मक ढांचा है। विभागीय कार्यलय संचालन हेतु जन सहयोग लिया जाता है जन सेवाओं के अनुश्रवनण व शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था हेतु विभाग के अंतर्गत पृथक पटल रखा गया है।

विभागीय कार्यालयों का कार्यालयीन समय प्रातः 10 बजे से शाम 05 बजे तक निर्धारित है।

(मैनुअल–2)

अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां एवं कर्तव्य,

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों कर्मचारियों के कर्त्तव्य एवं कार्य संक्षेप में निम्न अनुसार हैः–

(अ)	चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी –	कार्यालय एवं अधिकारियों की नस्ती आवाजाही में मदद करते है।
(ब)	सहायक ग्रेड–3	आवक–जावक / टायपिंग आदि का कार्य करते है।
(स)	सहायक ग्रेड–1 एवं 2	नस्ती संधारण एवं प्रस्तुति का कार्य करते है।
(द)	अनुभाग अधिकारी	अनुभाग का पर्यवेक्षण व मार्गदर्शन एवं नियंत्रण का कार्य करते है।
(स)	अवर सचिव / स्तर के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी / उप सचिव	सचिव / विशेष सचिव / सचिव स्तर के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और प्रमुख सचिव को प्रकरण के विश्लेषण टीप सहित अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रस्तुत करते हैं।
(स)	सचिव / विशेष सचिव सचिव स्तर के विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी और प्रमुख सचिव	रूटीन मामलों में नियमानुसार निर्णय करते हैं तथा नीतिगत और महत्वपूर्ण मामलों में शासन (मंत्री / मंत्रिपरिषद) को आवश्यकतानुसार परामर्श देते हैं और शासन के निर्णयों का अधिकारियों तथा आदिम जाति तथा अनुसचित जाति विकास विभाग के अंतर्गत स्थापित संस्थाओं के माध्यम से कियान्वयन कराते है।

(मैनुअल–3)

कृत्यों के निर्वहन हेतु नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख

लोक प्राधिकरण अथवा उसरके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका ओर अभिलेख की सूची संक्षेप में इस प्रकार हैः–

1. संचालक, अपर संचालक, उपायुक्त, परियोजना प्रशासक, सहायक संचालक, सहायक अनुसंधान अधिकारी, सहायक अभियंता, उप अभियंता, जिला संयोजक, सहायक परियोजना प्रशासक, अतिरिक्त सहायक विकास आयुक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सांख्यिकीय अधिकारी, विधि अधिकारी की पदस्थापना/स्थानांतरण/पदोन्नाति एंव रिक्त पदों की पूर्ति एवं सामान्य एवं गंभीर शिकायतें/उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन/गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण एवं संसूचन तथा अभ्यावेदनों का निराकरण करना।

2. विकासखंड शिक्षा अधिकारी, क्षेत्र संयोजक, मण्डल संयोजक की पदस्थापना/स्थानांतरण/पदोन्नति एवं रिक्त पदों की पूर्ति, सामान्य एवं गंभीर शिकायतें/उपरोक्त अधिकारियों की वरिष्ठता सूची का प्रकाशन/गोपनीय प्रतिवेदन का संधारण एवं संसूचना तथा अभ्यावेदनों का निराकरण करना।

3. उपरोक्त अधिकारियों की चल–अचल संपत्ति संबंधी कार्य, प्रशिक्षण एवं विभागीय परीक्षा आदि, राज्य सीमा से बाहर यात्रा की अनुमति अवकाश आदि।

4. कर्मचारियों के पदों की निरंतरता/सेटअप/भर्ती नियमों का निर्माण/चिकित्सा अग्रिम/विशेष वेतन/प्रतिनियुक्ति/जन्मतिथि की मान्यता आदि।

5. विभाग से संबंधित माननीय मुख्यमंत्री/मुख्य सचिव/ जनदर्शन/भ्रमण के दौरान की गई घोषणा का पंजीकरण एवं कार्यवाही।

6. विभागीय परामर्शदात्री समिति की बैठकों से संबंधित समस्त कार्य।

7. क्रीड़ा परिसर/विभागीय छात्रावास–आश्रमों से संबंधित कार्य (स्थापना को छोड़कर)
8. "प्रयास" आवासीय विद्यालयों से संबंधित कार्य (स्थापना को छोड़कर)
9. विभागीय नवीन छात्रावास–आश्रमों, क्रीड़ा परिसर की स्वीकृति एवं सीट्स वृद्धि करने संबंधी कार्य (स्थापना को छोड़कर)
10. छात्र गृह योजना/छात्रवृत्ति एवं शिष्यवृत्ति/प्रशिक्षण कार्यक्रम/परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र संबंधी कार्य।
11. राज्य प्रायोजित मद अन्तर्गत विभागीय छात्रावास–आश्रमों का भवन निर्माण संबंधी कार्य।
12. जवाहर उत्कर्ष विद्यार्थी योजना/प्री.मेडिकल तथा प्री. इंजिनियरिंग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना/नर्सिंग प्रशिक्षण योजना/सहायक नर्सिंग प्रशिक्षण योजना/पायलट प्रशिक्षण योजना/एयर होस्टेज एवं हास्पिटेलिटी प्रशिक्षण योजना/छात्र भोजन सहाय योजना/विशेष शिक्षण योजना/कम्प्यूटर प्रशिक्षण योजना/स्वस्थ तन–स्वस्थ मन योजना/आदिवासी सांस्कृतिक दलों को सहायता योजना/जनजातियों के पूजा स्थलों (देवगुड़ी) का परिरक्षण एवं विकास योजना/वाहन चालक प्रशिक्षण योजना से संबंधित कार्य, विज्ञान वाणिज्य शिक्षण प्रोत्साहन, युवा कैरियर निर्माण योजना, रविदास चर्मशिल्प योजना, सिविल सेवा परीक्षा प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना, खाद्य सुरक्षा अधिनियम।
13. जाति प्रमाण पत्रों/जाति से जुड़े उच्च स्तरीय समिति के मामलों आदि से संबंधित कार्य, आदिम जाति अनुसंधान से जुड़े समस्त कार्य।
14. केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति योजना।
15. केन्द्र क्षेत्रीय योजना अनुसूचित जाति प्रावीण्य में उन्नयन का प्रस्ताव।
16. केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत पोस्ट मैट्रिक/प्री मैट्रिक पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति योजना।
17. केन्द्रीय क्षेत्रीय योजनान्तर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों के लिए राजीव गांधी नेशनल फेलोशीप (RGNF)योजना।
18. केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत पिछड़ा वर्ग छात्रावास भवन निर्माण योजना।

19. केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत अल्पसंख्यक वर्ग के विकास हेतु संचालित प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेरिट कम मीन्स छात्रवृत्ति योजना।
20. पढ़ो परदेश–अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित विद्यार्थियों के लिए विदेश में अध्ययन हेतु शैक्षिक ऋण पर ब्याज इमदाद की योजना।
21. "सफाई से जुड़े और स्वास्थ्य के लिए जोखिमपूर्ण व्यवसायों में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना"
22 निःशक्त विद्यार्थियों के लिये प्री मैट्रिक एवं पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना।
23. विदेश में अध्ययन के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति योजना।
24. केन्द्र प्रवर्तित योजना अंतर्गत बाबू जगजीवन राम छात्रावास भवन निर्माण योजना।
25. केन्द्र प्रवर्तित योजनांतर्गत केन्द्रीय सहायता–नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.–1989 के क्रियान्वयन का प्रस्ताव।
26. (SCA to SCSP)अंतर्गत अनाबद्व राशि का प्रस्ताव।
27. छत्तीसगढ़ जनजाति सलाहकार परिषद से संबंधित समस्त कार्य।
28 सरगुजा एवं उत्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण।
29 बस्तर एवं दक्षिण क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण।
30 अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण।
31 प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना।
32 अस्पृश्यता निवारणार्थ अंतर्जातीय विवाह योजना।
33 नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम–1955 एवं अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधि.–1989 (PoA act & PcR act) के क्रियान्वयन से संबंधित समस्त कार्य।
34 छत्तीसगढ़ आकस्मिकता योजना के क्रियान्वयन से संबंधित कार्य।
35 विभाग के अंतर्गत आयोगों/निगमों/समितियों/मण्डलों/सलाहकार मण्डल आदि से संबंधित समस्त कार्य।
36 राष्ट्रीय आयोगो से संबंधित कार्य।
37 अल्पसंख्यकों के स्थापना संबंधी समस्त कार्य।
38 वक्फ बोर्ड से संबंधित कार्य, राज्य चैनेलाईजिंग एजेसी, कम्प्यूटराईजेशन संबंधी कार्य।
39 हज कमेटी से संबंधित कार्य
40 छ.ग.राज्य के हज यात्रियों के आबंटन संबंधी कार्य।
41 अल्पसंख्यक आयोग से संबंधित कार्य
42 अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को मान्यता।
43 आयुक्त भाषाजात अल्पसंख्यक आयोग संबंधी कार्य ।
44 अनुसूचित जाति/जनजाति आयोग से संबंधित कार्य
45 पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित कार्य
46 व्यवहार (न्यायालयीन प्रकरण) में प्रभारी अधिकारी की नियुक्ति एवं प्रतिरक्षण हेतु नस्ती प्रस्तुत करना तथा अन्य संबंधी कार्य।
माननीय मुख्यमंत्री जी की घोषणा (ग्राम सुराज/लोक सुराज) की पूर्ति के संबंध में कार्यवाही एवं जानकारी का प्रेषण।
47 गिरौदपुरी, भण्डारपुरी का समन्वित विकास एवं गिरौदपुरी में जैतखम्ब का निर्माण।
48 (संसद सत्र हेतु) माननीय सांसदो को राज्य हित मुद्दों के संबंध में जानकारी।
49 15 अगस्त, स्वतंत्रता दिवस एवं 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के अवसर पर मान. मुख्यमंत्री जी द्वारा जनता के नाम संदेश हेतु विभागीय जानकारी का प्रेषण एवं गणतंत्र दिवस समारोह नई दिल्ली में शामिल होने हेतु राज्य से दो अनुसूचित जनजाति अतिथियों को नई दिल्ली भेजने के संबंध में।
50 राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मान. मुख्यमंत्री जी के उदबोधन हेतु विभागीय जानकारी का प्रषण। एवं राज्योत्सव में विभाग द्वारा दिये जाने वाले पुरस्कार/सम्मान –स्व.डॉ. भंवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान, पुरस्कार/शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान, पुरस्कार/गुरू घासीदास सामाजिक चेतना एवं अनुसूचित जाति उत्थान सम्मान पुरस्कार/स्व. हाजी हसन अली, सम्मान, पुरस्कार। शहीद वीर नारायण सिंह आदिवासी लोक कला महोत्सव एवं गुरू घासीदास लोक कला महोत्सव हेतु ज्यूरी का गठन।
51 पेशा एक्ट के संबंध में।
52 विभागीय वार्षिक प्रतिवेदन एवं विभाग अंतर्गत संचालित आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन को विधान सभा के पटल पर रखवाने बाबत्

53 राज्य स्तरीय संयुक्त परामर्शदात्री समिति की बैठक हेतु जानकारी एवं विभाग से संबंधित बिन्दुओ का पालन प्रतिवेदन।
आकाशवाणी रायपुर के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रसारित (रमन के गोठ) वार्ता के संबंध में विभागीय जानकारी का प्रेषण (प्रत्येक माह की दिनांक 05 तक)
54 मान. सांसद एवं मान. विधायक आदर्श ग्राम योजना।
55 नवीन औद्योगिक नीति, नवीन ग्रामोद्योग नीति।
56 छत्तीसगढ़ राज्य को हरा–भरा बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम।
57 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के वार्षिक प्रतिवेदन पर अनुसंशित बिन्दुओ पर जानकारी उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।
58 लोक सेवा गारंटी, स्वच्छता अभियान से संबंधित विभागीय जानकारी।
59 भारत शासन की आदिवासी विकास की योजनाओं के पत्राचार, विदेशी सहायता प्राप्त योजनाओं/विश्व स्वास्थ्य संगठन/नाबार्ड से स्वीकृत योजनाओं एवं कार्यकमों/वन अधिकार/LWE/ नवीन वन बंधु कल्याण योजना/एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय/भारत सरकार योजना अंतर्गत अनु. जन जाति छात्रावास/आश्रम भवन निर्माण/ राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल/ Direct Benefit Transfer System हेतु धमतरी एवं कोरिया जिले में संचालित केन्द्रीय योजना–अनुसूचित जनजाति पोस्ट मैट्रिक /ट्रायबल यूथ हास्टल/वनाधिकार अधिनियम अंतर्गत वितरित वन भूमि के सीमांकन हेतु मुनारों की स्थापना का प्रस्ताव/वन अधिनियम के कियान्वयन एवं इसकी प्रगति प्रतिवेदन/सिकल सेल एनीमिया का प्रबंधन/नवीन एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना/माडा पैकेट का गठन एवं पुर्नगठन बाबत प्रस्ताव
60 एकीकृत आदिवासी विकास योजनाओं/माडा क्षेत्रों/आदिवासी अंचल में स्थानीय विकास कार्यकम/ आदिवासी क्षेत्रों में सुविधा का विस्तार 275(1)/आदिवासी विशेष पिछड़ी समूहों एवं अभिकरण/ विशेष केन्द्रीय सहायता आदिवासी उपयोजना/अनु. जन. जाति प्री. मैट्रीक छात्रवृत्ति/ अनु. जन. जाति पोस्ट मैट्रीक छात्रवृत्ति/प्रावीण्य उन्नयन योजना/व्यवसायिक प्रशिक्षण विभागीय प्रस्ताव/ आदिम जाति तथा अनुसंधान प्रशिक्षण संस्थान का विभागीय प्रस्ताव /लघुवनोपज संग्रहण का विभागीय प्रस्ताव/एक्सचेज आफ विजिट का विभागीय प्रस्ताव/योजना आयोग, भारत सरकार के एकमुश्त अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता
61 अशासकीय संस्थाओं को आवासीय छात्रावार और अन्य कल्याणकारी प्रवृत्तियां, अनुदान एवं भारत सरकार के योजना अंतर्गत अशासकीय संस्था को अनुदान। आईपेड संबंधी कार्य।
62 स्वेच्छिक संस्थाओ के सहायतार्थ राज्य अनुदान समिति की बैठक
63 हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का पुनर्वास अधिनियम 2013 के कियान्वयन के संबंध में। (22 नस्ती वर्तमान में प्रचलित सूची संलग्न)
64 प्रधानमंत्री के नवीन 15 सूत्रीय कार्यकमों के कियान्वयन संबंधी कार्य।
65 बहुद्देशीय क्षेत्रीय विकास कार्यकम (एम.एस.डी.पी.) से संबंधित कार्य।
66 एम.एस.डी.पी. योजना अंतर्गत छात्रावास भवन निर्माण संबंधी कार्य।
67 मध्यप्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 के अंतर्गत सार्वजनिक उपकमों/बोर्ड के आस्तियों और दायित्वों संबंधी कार्य
68 अंत्यावसायी वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, से संबंधित कार्य (स्थापना छोड़कर) स्टेट गारंटी योजना/राज्य अंशपूंजी/संचालक मण्डल कीबैठक/शहीद वीरनारायण सिंह स्वावलंबन
69 योजना/मिनीमाता स्वावलंबन योजना/अंत्योदय स्वरोजगार और आदिवासी स्वरोजगार योजना।विभागीय योजना की समीक्षा बैठक, यूरोपियन कमीशन राज्य साझेदारी कार्यकम स्टीयरिग कमेटी की बैठक,नाबर्ड, कौशल विकास, वनोपज राजकीय व्यापार अंतर्विभागीय समिति, माननीय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में छ0ग0 स्टेट स्किल डेव्हलपमेंट मिशन सोसायटी के शासी निकाय की बैठक, अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एव 2007 यथा संशोधित 2012 के कियान्वयन की समीक्षा हेतु राज्य स्तरीय (वन अधिकार) निगरानी समिति की बैठक, /हाई पावर कमेटी/स्पेशल टास्क फोर्स, जनजातीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा संचालित विभागीय योजनाओं की समीक्षा बैठक
70 विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम–2006
ऋण सहायता अधिनियम
71 छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग अधिनियम, 1995(कमांक 24 सन् 1995) एवं संशाधित अधिनियम–2020
72 छत्तीसगढ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995(कमांक 25 सन् 1995) एवं संशोधित अधिनियम–2020

73 छत्तीसगढ राज्य अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1996(कमांक 15 सन् 1996) एवं संशोधन अधिनियम, 2020

74 छत्तीसगढ राज्य पिछडा वर्ग आयोग, अधिनियम, 1995(कमांक 26 सन् 1995)

75 वक्फ बोर्ड नियम–2020

(मैनुअल–4)

नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जन–प्रतिनिधि से परामर्श के लिये बनाई गई व्यवस्था का विवरण

नीति निर्धारण हेतु जनता या जन प्रतिनिधि के परामर्श/भागीदारी का कोई प्रावधान नहीं है।

(मैनुअल–5)

लोक प्राधिकारी के पास या उनके नियंत्रण में उपलब्ध दस्जावेजो का प्रवर्गो (Categories) के अनुसार विवरण

आदिम जाति तथा अनुसूचित विभाग के उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों के प्रवर्गो की सूची संक्षेप में मैनुअल–3 में स्पष्ट किया गया है।यह दस्तावेज प्रत्येक अनुभाग में उपलबध रहते है।

(मैनुअल–6)

बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं अन्य निकायों का विवरण

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग से संबद्ध कार्यालयों की सूची निम्नानुसार हैः–

(1) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, नवा रायपुर.
(2) संचालक, आदिम जाति अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, नवा रायपुर.
(3) प्रबंध संचालक, छ0ग0 राज्य अन्तवसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, नवा, रायपुर.
(4) छ0ग0 राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग, अनुपम नगर, रायपुर.
(5) छ0ग0 राज्य अनुसूचित जाति आयोग, रायपुर.
(6) छ0ग0 राज्य पिछडा वर्ग आयोग, रायपुर.
(7) छ0ग0 राज्य अल्पसंख्यक आयोग, रायपुर.
(8) छ0ग0 राज्य हज कमेटी, रायपुर.
(9) छ0ग0 राज्य बक्फ बोर्ड, रायपुर
(10) छ0ग0 राज्य उर्दू अकादमी, रायपुर.
(11) छ0ग0 राज्य वक्फ अधिकरण, रायपुर.

(मैनुअल–7)

लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम एवं अन्य विशिष्टियां

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के समस्त अवर सचिव अधिकारियों को ''लोक सूचना अधिकारी'' एवं उपसचिव/संयुक्त सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव स्तर के अधिकारी को ''अपीलीय अधिकारी'' नामांकित किया जाता है। वर्तमान में निम्नांकित अपीलीय अधिकारी व जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जन सूचना अधिकारी के पद पर कार्यरत् हैः–

स0क0	अधिकारी का नाम	पदनाम	अधिनियम के तहत् पद नामित
1	श्री एम.एम. मिंज,	अपर सचिव	अपीलीय अधिकारी
2	श्री आर.ए. निर्मलकर,	अवर सचिव	जनसूचना अधिकारी
3	श्री के0पी0 नेताम,	अनुभाग अधिकारी	सहायक जनसूचना अधिकारी
4	श्री केनस नायक,	––तदैव––	सहायक जनसूचना अधिकारी
5	श्री डी.एन. रायकवार,	––तदैव––	सहायक जनसूचना अधिकारी

(मैनुअल–8)

निर्णय लेने की प्रक्रिया

शासन के कार्य आबंटन नियम, छत्तीसगढ कार्यपालक शासन के कार्यनियम तथा (1) संचिवालयीन कार्य पुस्तिका (2) प्रकाश में सहायक ग्रेड–1 एवं सहायक ग्रेड–2 प्रकरणों में तथ्यों का तथा प्रकरण के इतिहास को संक्षिप्त उल्लेख करते हुए नियम और पूर्वोदाहरण बताने का कार्य करते है, अनुभाग अधिकारी इनकी पुष्टि करते हुए प्रकरण अग्रिम कार्यवाही के लिए उच्च स्तर की ओर अग्रेषित करते है। अवर सचिव, उपसचिव, संयुक्त सचिव, अपर सचिव आवश्यकतानुसार प्रकरण का विश्लेषण करते है एवं उनके अंतर्गत जारी नियम निर्देशों के अनुसार उच्च स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया अपनाई जाती है।

प्रकरणों पर अंतिम निर्णय लेने के लिए अधिकृत अधिकारी सचिव/विशेष सचिव/अपर सचिव एवं विभागीयं मंत्री होते है।

(मैनुअल–9)

अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका

विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका संलग्न है।

(मैनुअल–10)

विभाग के प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी को मासिक पारिश्रमिक राज्य शासन द्वारा निर्धारित वेतन पद के अनुसार किया जाता है।

(मैनुअल–11)

विभाग को आबंटित बजट

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए विभाग एवं विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों को मांग संख्या–41, 64 एवं 66 के अंतर्गत वित्त विभाग द्वारा बजट आबंटन किया जाता है, जो बजट पुस्तिका के रूप में प्रति वर्ष जारी किये जाते है।

(मैनुअल–12)

अनुदान/राज सहायता कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की रीति

विभागीय ज्ञापन क्रमांक एफ 17–50/2006/25–2, दिनांक 25–01–2007 द्वारा विभागीय अशासकीय संस्था अनुदान नियम–2006 के अनुसार कार्यवाही की जाती है। नियम वेबसाइट पर उपलब्ध है।

(मैनुअल–13)

विभाग द्वारा कोई रियायत/अनुज्ञा–पत्र जारी नहीं किया जाता है।

(मैनुअल–14)

कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/नियम

विभाग के विभिन्न क्रियाकलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने मानक/नियमों का कार्यक्रम सचिवालयीन कार्यालयीन पुस्तिका के पृष्ठ 19 से 30 पर स्पष्ट है।

(मैनुअल–15)

इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें

विभाग से संबंधित इलेक्ट्रानिक फॉरमेट में जानकारी की व्यवस्था प्रक्रियाधीन है।

(मैनुअल–16)

विभाग द्वारा जनता को सूचना उपलब्ध कराने हेतु जनसूचना अधिकारी एवं सहायक जनसूचना अधिकारी नियुक्त किये गये है।

(मैनुअल–17)

ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए–

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं, नियम, निर्देश परिपत्र विभाग की वेबसाईट, पर उपलब्ध है।